



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 883725

D 883725

8. मापन की ईकाई (वर्गमीटर/हैक्टेयर : हैक्टेयर
9. विक्रित सम्पत्ति का क्षेत्रफल 0.2740 हैक्टेयर ।
10. सड़क की स्थिति परिशिष्ट के अनुसार लागू नहीं है।
11. सम्पत्ति की अवस्थिति: अर्द्धनगरीय क्षेत्र है।
12. विक्रित खसरा नम्बर 1302 व 1303 लिंक मार्ग पर स्थित है।
13. पेड़ों का मूल्यांकन: लागू नहीं है।
14. बोरिंग, नलकूप विक्रित भूमि में नहीं है।
15. सहकारी आवास समिति के राजस्व से सम्बन्धित नहीं है।
16. अधिसूचना सं0वि0क0नि0-5-2756/11-2008-500(165)/2007 लखनऊ दिनांक 30.06.2008 ई0 के अनुसार 7 प्रतिशत की दर से देय स्टाम्प अंकन 2,40,000/- रूपये।

विवरण विक्रित भूमि:

भूगिधरी भूमि खाता संख्या 00004 के खसरा नम्बर 1302ख एकबई 0.1390 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1303 एकबई 0.0890 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1305

- Hsing Praps

11/10/2012





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 883724

D 883724

रकबई 0.2020 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 1306 रकबई 0.3920 हेक्टेयर कुल नम्बर 4 कुल रकबा 0.8220 हेक्टेयर में अपने समस्त 1/3 भाग की भूमि 0.2740 हेक्टेयर स्थित ग्राम सिवायाजमाउल्लापुर परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ।

विकेता/प्रथम पक्ष दृष्टिहीन/विकलांग व्यक्ति नहीं है।
विकित भूमि विकेता/प्रथम पक्ष की पैतृक सम्पत्ति है।
केता उक्त खसरा नम्बर में पूर्व से ही सहखातेदार है।
पक्षकार भारत देश के मूल नागरिक है।

विकेता जाति से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है।
विकित सम्पत्ति के 200 मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत आवासीय गतिविधि संचालित है।

विकेता प्रथम पक्ष के परिवार के पास विक्रय की गयी भूमि सहित समस्त उत्तर प्रदेश में 18 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। व केता द्वितीय पक्ष के परिवार के पास कय की गयी भूमि सहित समस्त उत्तर प्रदेश में 12,1/2 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है।

Handwritten signature

11.01.2012

Handwritten signature





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

0 883719

7 883719

विक्रित भूमि पट्टा ग्राम समाज, सीलिंग, भूदान, गर्वनमेण्ट ग्रांट एक्ट के अधीन दिये गये पट्टे की भूमि नहीं है।

हम कि अजय कुमार पुत्र महाराज सिंह निवासी ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठप्रथम पक्ष/विक्रेता। एवं

मेसर्स श्री विश्वकर्मा बिल्डर्स, रजि0 ऑफिस 159, शास्त्री कालोनी निकट आर्पनगर, कंकरखेडा मेरठ पेन नम्बर-ACFFS8952A द्वारा डायरेक्टर/पार्टनर्स श्री नीरज कुमार पुत्र श्री सुरेशपाल सिंह निवासी 535, ग्राम लच्छेडा तहसील व जिला मुजफ्फरनगर व श्री मनदीप लाम्बा पुत्र श्री परमजीत लाम्बा निवासी 83, सिवायाजमाउल्लापुर परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठद्वितीय पक्ष/क्रेता।

इस लेख द्वारा प्रमाणित करते है कि प्रथम पक्ष विक्रेता निम्नलिखित सम्पत्ति का स्वामी काबिज और अधिकारी है। प्रथम पक्ष/विक्रेता व्यक्तिगत स्वामी व विक्रयाधिकारी है तथा जो आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण तथा भार

S. Anil Kumar

Sir 3/12

W. S.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

0 883720

D E83720

आदि से मुक्त है, प्रथम पक्ष/विक्रेता को मूल्य इस समय उचित मिल रहा है, जो इस वक्त के बाजारी मूल्य के बराबर है, इससे अधिक मूल्य मिलने की कोई समावना नहीं है, जिसके विक्रय करने में ही प्रथम पक्ष को पूरा पूरा लाभ व भलाई है। अतः प्रथम पक्ष ने उक्त सम्पत्ति को अपने सारे अधिकार स्वामित्व तथा अधिपत्य आदि सहित स्वयं इच्छानुसार स्थिर बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की अवस्था में अंकन 34,24,800/- चौतीस लाख चौबीस हजार आठ सौ रूपये में कि जिसके आधे अंकन 17,12,400/- सतरह लाख बारह हजार चार सौ रूपये होते हैं।, विक्रय मूल्य के उपलक्ष्य में हस्ते मैसर्स श्री विश्वकर्मा बिल्डर्स, रजि0 ऑफिस 159, शास्त्री कालोनी निकट आर्यनगर, कंकरखेडा मेरठ पेन नम्बर-ACFFS8952A द्वारा डायरेक्टर/पार्टनर्स श्री नीरज कुमार पुत्र श्री सुरेशपाल सिंह निवासी 535, ग्राम लच्छेडा तहसील व जिला मुजफ्फरनगर व श्री मनदीप लाम्बा पुत्र श्री परमजीत लाम्बा निवासी 83, सिवायाजमाउल्लापुर परगना दौराला तहसील सखना जिला मेरठ को विक्रय कर दी और पूर्णतया बेच दिया और विक्रय मूल्य विक्रेता/ प्रथम पक्ष ने क्रेता/ द्वितीय पक्ष से निम्नानुसार प्राप्त करके उक्त विक्रित सम्पत्ति को अपने सारे ही अधिकार स्वामित्व तथा अधिपत्य आदि से निकालकर बिना छोड़े हुए कोई हक व हिस्सा चाहे उसका जिक्र इस दस्तावेज में किया गया हो अथवा न किया गया हो मौके पर द्वितीय

Hijendra Singh

10/11/2014

Handwritten signature





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

0 883721

D 183721

पक्ष के अधिकार स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि में देकर द्वितीय पक्ष को व्यक्तिगत स्वामी एवं पूर्णतया अधिकारी तथा अपनी ही भांति काबिज व अधिकारी बना दिया है। अब प्रथम पक्ष का कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का विकित सम्पत्ति व प्राप्ति रूपों की बाबत द्वितीय पक्ष से शेष नहीं रहा है और न ही भविष्य में होगा। वास्तविक परिवर्तन कार्यान्वित हुआ। द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह सरकारी रिकार्ड में अपना नाम बहसियत मालिक दर्ज करा ले इसमें जहाँ कहीं भी प्रथम पक्ष के हस्ताक्षरों की आवश्यकता होगी तो उसमें प्रथम पक्ष को कोई उर्ज व एतराज नहीं होगा। आज से पूर्व के जो भी ड्यूज आदि होंगे, उनको अदा करने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी। यदि प्रथम पक्ष के किसी सम्बन्धी, सहभागी या उत्तराधिकारी के वादवश अथवा आज से पूर्व के किसी भी वैधानिक दोषवश उक्त विकित सम्पत्ति अथवा उसका कोई अंश द्वितीय पक्ष के अधिकार स्वामित्व तथा अधिपत्य आदि से निकल जावे, या कोई धन द्वितीय पक्ष को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिये अदा करना पड़ जाये तो ऐसी प्रत्येक दशा में द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपना समस्त विक्रय मूल्य अथवा उसका अंश जैसी भी दशा में हो, क्षति व खर्चा बनामा मय एक रुपया प्रतिशत मासिक ब्याज व कानूनी न्यायालय द्वारा वाद सहित मय हर्जा व खर्चा व लागत निर्माण आदि व अदा किया हुआ धन जिस प्रकार उचित जाने, प्रथम पक्ष व

27/01/2012

21/03/2012

11/11/2012





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

0 883722

0 883722

उनके उत्तराधिकारियों से व उनकी चल अचल सम्पत्ति से प्राप्त कर ले। इसमें प्रथम पक्ष तथा उनके उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति नहीं होगी अतः यह विक्रय पत्र स्वयं इच्छानुसार स्थिर बुद्धि प्रसन्नचित बिना किसी दबाव या बहकाव के लिखा दिया ताकि प्रमाण हो और समय पर छ काम आवे। इति

विवरण प्राप्ति विक्रय मूल्य:-


1. अंकन 20,000/- रुपये द्वितीय पक्ष ने दिनांक 14.11.2013 को प्रथम पक्ष को नकद दिये।
2. अंकन 20,000/- रुपये द्वितीय पक्ष ने दिनांक 15.11.2013 को प्रथम पक्ष को नकद दिये।
3. अंकन 20,000/- रुपये द्वितीय पक्ष ने दिनांक 16.11.2013 को प्रथम पक्ष को नकद दिये।
4. अंकन 20,000/- रुपये द्वितीय पक्ष ने दिनांक 18.11.2013 को प्रथम पक्ष को नकद दिये।
5. अंकन 20,000/- रुपये द्वितीय पक्ष ने दिनांक 19.11.2013 को प्रथम पक्ष को नकद दिये।
6. अंकन 20,000/- रुपये द्वितीय पक्ष ने दिनांक 20.11.2013 को प्रथम पक्ष को नकद दिये।
7. अंकन 20,000/- रुपये द्वितीय पक्ष ने दिनांक 21.11.2013 को प्रथम पक्ष को नकद दिये।
8. अंकन 20,000/- रुपये द्वितीय पक्ष ने दिनांक 22.11.2013 को प्रथम पक्ष को नकद दिये।
9. अंकन 20,000/- रुपये द्वितीय पक्ष ने दिनांक 23.11.2013 को प्रथम पक्ष को नकद दिये।
10. अंकन 20,000/- रुपये द्वितीय पक्ष ने दिनांक 25.11.2013 को प्रथम पक्ष को नकद दिये।
11. अंकन 20,000/- रुपये द्वितीय पक्ष ने दिनांक 26.11.2013 को प्रथम पक्ष को नकद दिये।
12. अंकन 20,000/- रुपये द्वितीय पक्ष ने दिनांक 27.11.2013 को प्रथम पक्ष को नकद दिये।

Harish Singh

2005 ML

ML





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19052014 AT 608124

SARDHANA MURRY

160. अंकन 20,000/-	रुपये द्वितीय पक्ष ने दिनांक 19.05.2014 को प्रथम पक्ष को नकद दिये।
161. अंकन 20,000/-	रुपये द्वितीय पक्ष ने दिनांक 20.05.2014 को प्रथम पक्ष को नकद दिये।
162. अंकन 20,000/-	रुपये द्वितीय पक्ष ने दिनांक 21.05.2014 को प्रथम पक्ष को नकद दिये।
163. अंकन 20,000/-	रुपये द्वितीय पक्ष ने दिनांक 22.05.2014 को प्रथम पक्ष को नकद दिये।
164. अंकन 20,000/-	रुपये द्वितीय पक्ष ने दिनांक 23.05.2014 को प्रथम पक्ष को नकद दिये।
165. अंकन 20,000/-	रुपये द्वितीय पक्ष ने दिनांक 24.05.2014 को प्रथम पक्ष को नकद दिये।
166. अंकन 20,000/-	रुपये द्वितीय पक्ष ने दिनांक 26.05.2014 को प्रथम पक्ष को नकद दिये।
167. अंकन 20,000/-	रुपये द्वितीय पक्ष ने दिनांक 27.05.2014 को प्रथम पक्ष को नकद दिये।
168. अंकन 20,000/-	रुपये द्वितीय पक्ष ने दिनांक 28.05.2014 को प्रथम पक्ष को नकद दिये।
169. अंकन 20,000/-	रुपये द्वितीय पक्ष ने दिनांक 29.05.2014 को प्रथम पक्ष को नकद दिये।
170. अंकन 20,000/-	रुपये द्वितीय पक्ष ने दिनांक 30.05.2014 को प्रथम पक्ष को नकद दिये।
171. अंकन 20,000/-	रुपये द्वितीय पक्ष ने दिनांक 31.05.2014 को प्रथम पक्ष को नकद दिये।
172. अंकन 4,800/-	रुपये द्वितीय पक्ष ने दिनांक 02.06.2014 को प्रथम पक्ष को नकद दिये।

दिनांक: 03.06.2014 (तीन जून सन् दो हजार चौदह ई०)

संस्थान: सुनील पाठक, दस्तावेज लेखक सरखना जिला मेरठ।

सुनील पाठक
दस्तावेज लेखक
सरखना (मेरठ)

Sardhana Murry

19052014

Sardhana Murry




15



Sardhana Murry


Ad



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 2 JUN 2014 AT 508125

नक्शा नजरी
SARDHANA (MEERUT)



विकल्प की गयी भूमि की 200 मीटर की त्रिज्या में स्थित सम्पत्तियों का विवरण -

1. नान सड़क.....
2. आवासीय / वाणिज्यिक, भूमि / भवन / औद्योगिक.....
3. शैक्षिक / धर्मार्थ / स्वास्थ्य केन्द्र.....
4. औद्योगिक संस्थान / कारख़ाने स्टोरेज.....
5. गैस गोदाम / पेट्रोल पम्प / बस अड्डा.....
6. होटल स्टोरेज / मनोरंजन केन्द्र.....
7. सरकारी / अर्द्धसरकारी / निगमित कार्यालय.....
8. अन्य.....

घोषणा- किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है तथा गलत वर्णन अंकित नहीं किया गया है। उपरोक्त स्थान क्षेत्र की सामान्य जानकारी पर आधारित है।

10 विक्रेता

Handwritten signature



Handwritten signature



दो क्रेता

Handwritten signature



57 2/8/14 SOW
2/8/14

57

आज दिनांक 12/08/2014 को

वही सं. 1 खिण्ड सं. 5945

पृष्ठ सं. 213 से 244 पर क्रमांक 11321

रजिस्ट्रीकृत किया गया।


रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



कृष्ण कुमार यादव
उप निबंधक सारथना



11321



D 883726

0 883726

उत्तर प्रदेश UTIAR PRADESH

विकय विलेख
लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

उपनिबन्धक कार्यालय :- सरधना जिला मेरठ।

1. भूमि का प्रकार (कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक/अन्य) कृषि भूमि
2. सर्किल रेट सूचि के अनुसार प्रारूप-4 कमांक 142 है।
3. सर्किल रेट सूचि के अनुसार निर्धारित सर्किल रेट 200 मीटर की त्रिज्या में आवासीय गतिविधि होने के कारण 1,20,00,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर व खसरा नम्बर 1302ख व 1303 लिंक मार्ग पर स्थित होने के कारण उक्त खसरा नम्बरो पर भागानुसार 15 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प अदा किया जा रहा है।
4. प्रतिफल की धनराशि अंकन: 34,24,800/- रुपये।
5. सर्किल रेट के अनुसार कीमत अंकन: 34,24,800/- रुपये।
6. स्थित ग्राम सिवायाजमाउल्लापुर परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ।
7. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नम्बर) : खसरा नम्बर 1302ख व 1303 व 1305 व 1306

19 July 2012

11/03/12

[Signature]

